न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 96 / 2024 वाद   दायर दिनांक 23.09.2024

उनवान

1. नारायणलाल पिता भैरूलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी कपासन जिला चित्तौड़गढ़।	1. मथुरालाल पिता नारायणलाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी खटीक मोहल्ला कपासन जिला चित्तौड़गढ़। 2. रामा पिता लालू जाति जाट आयु वयस्क निवासी कपासन जिला चित्तौड़गढ़। 3. मगनी बेवा कालूराम जाति खटीक आयु वयस्क निवासी कपासन जिला चित्तौड़गढ़। 4. तहसीलदार तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ राज.)।

उपस्थितिः– अधिववक्ता श्री किशनलाल जाट —वादी
अधिववक्ता श्री बालुराम जाट —प्रतिवादी सं0 1 से 3

—: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 27.03.2025

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासन ए के हल्के बैरूनी में हाल आराजी नम्बर 2087 रकबा 0.24 हैक्ट0, आ0नं0 2088 रकबा 0.24 हैक्ट0, आ0नं0 2089 रकबा 0.29 हैक्ट0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.77 हैक्ट0 स्थित है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा रेवेन्यु रेकार्ड में स्थित है।

यह कि उक्त आराजीयात का मौके पर पक्षकारान के आपसी बंटवाडा कर रखा है तथा हिस्सा अनुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्सा पर काबीज होकर काश्त कर रहे है तथा उपयोग उपभोग में काम में ले रहे है।

यह कि उक्त आराजीयात रेवेन्यु रेकार्ड में संयुक्त दर्ज होने के कारण उक्त आराजीयात का लगान जमा कराने तथा इनके किस्म परिवर्तन कराने में आदि तथा मौके पर अलग कब्जा साबित कराने में भी काफी प्रकार से कानूनी अडचने पैदा होती है जिससे मौके पर पक्षकारान के कब्जा अनुसार बंटवाडा कानूनी रूप से कराया जानां आवश्यक है।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण को अन्तिम बार मौखिक रूप से दिनांक 08.09.2024 को भी बंटवाडा आपसी तौर से करा लेने बाबत कहा लेकिन उक्त कानूनी बाधा होने के कारण तैयार नही हुए है जिससे बिनाय दावा पैदा हुई एवं उसके पश्चात निरन्तर पैदा हो रही है।

अन्त में वादी ने प्रार्थना की कि– बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बंटवाडा की डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में से वादी का 1/2 हिस्सा जो रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज है वह मौके पर जहाँ वादी काबिज है उस अनुसार तथा जहाँ प्रतिवादीगण काबिज है उस अनुसार कानूनी रूप से बंटवाडा कर रेवेन्यु रेकार्ड में अलग खाता दर्ज किये जाने की डिक्री बक्षाई जावें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

वाद पत्र में दिनांक 19.02.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 20.03.2025 से प्रस्तुत की गई। शा0फा0 की गयी। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा आदेशिका पर हसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन कर हस्ताक्षर किये गये। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 27.03.2025 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा कपासन पटवार हल्का कपासन ए के हल्के बैरूनी में हाल आराजी नम्बर 2087 रकबा 0.24 हैक्ट0, आ0नं0 2088 रकबा 0.24 हैक्ट0, आ0नं0 2089 रकबा 0.29 हैक्ट0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.77 हैक्ट0 स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 20.03.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. नारायण पुत्र भैरूलाल हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा0 देह खातेदार

   रहन पूर्ण खाता– एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा कपासन

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	2087/2	0.0250	नहरी 1
2	2088	0.2400	नहरी 1
3	2089/1	0.1200	नहरी 1
योग	कुल किता–03	0.3850	

2. मगनी पत्नी कालुराम हिस्सा 1/5 जाति जाट, मथुरालाल पुत्र नाराण हिस्सा 2/5 जाति खटीक, रामा पुत्र लालु हिस्सा 2/5 जाति जाट सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	2087/1	0.2150	नहरी 1
2	2089/2	0.1700	नहरी 1
योग	कुल किता–02	0.3850	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कपासन जिला चित्तौड़गढ़

(राजेश सुवालका)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी, कपासन

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला चित्तौड़गढ़